

विहंगावलोकन

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष हेतु जनरल एवं सोशल सेक्टर पर आधारित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में शासन के चयनित कार्यक्रमों एवं विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों के साथ-साथ शासकीय विभागों/स्वायत्त निकायों, समितियों आदि के वित्तीय संव्यवहारों को सम्मिलित करते हुये एक निष्पादन लेखापरीक्षा (उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन), एक सूचना एवं प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रक्रिया के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण) एवं तीन लेखापरीक्षाओं (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक आधारभूत संरचना के आधुनिकीकरण की लेखापरीक्षा एवं उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में उपकरण प्रबन्धन) एवं 26 प्रस्तारों के निष्कर्ष सम्मिलित हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है:

निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित किए जाने हेतु की जाती है कि शासन के कार्यक्रमों के वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति न्यूनतम लागत पर की गयी थी एवं अपेक्षित लाभ लक्षित लाभार्थियों को प्राप्त हुआ था।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। यह अधिनियम 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। भारत सरकार द्वारा, वर्ष 2000-01 में, सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ किया गया जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बनाने हेतु संशोधित (मार्च-2011) किया गया तथा इसे अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु मुख्य संवाहक बनाया गया। वर्ष 2010-16 की अवधि में उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु ₹ 47,403.24 करोड़ का व्यय किया गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष निम्नवत हैं:

अर्ह बसावटों हेतु विद्यालय

अधिनियम के क्रियान्वयन के छह वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद, राज्य में 2055 बसावटों में कोई विद्यालय नहीं था। अग्रेतर, 230 बसावटों में कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं था। परिणामस्वरूप, उन बसावटों में रह रहे 1.79 लाख बच्चों को पड़ोस का विद्यालय उपलब्ध नहीं हो सका।

(प्रस्तर 2.1.8.1)

गरीब/वंचित वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों का विद्यालय में प्रवेश

क्रियान्वयन सोसाइटी और जिला नियोजन अधिकारियों के मध्य सामंजस्य की कमी के परिणामस्वरूप समाज के गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों का अत्यन्त कम नामांकन हुआ। विभाग द्वारा कराये गये हाउस होल्डसर्वे में, भारत सरकार द्वारा कराये गये सर्वे में चिन्हित

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के 75 प्रतिशत/9 प्रतिशत/67 प्रतिशत ही चिन्हित किये जा सके। परिणामस्वरूप, समाज के इन वर्गों हेतु योजनाओं का पर्याप्त क्रियान्वयन नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर 2.1.9.2)

बच्चों का नामांकन

सम्प्रेक्षण द्वारा एकत्रित जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि औसतन प्रतिवर्ष 20 लाख ड्रॉप-आउट बच्चे थे। परन्तु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-16 की अवधि में बच्चों का औसत ड्रॉप आउट 0.63 लाख प्रतिवर्ष था।

विद्यालयों से बच्चों के कुल ड्रॉप आउट की तुलना में कक्षा 5 से कक्षा 6 में अन्तरण के समय ड्रॉप आउट अत्यधिक था। ये सम्बन्धित वर्षों में कुल ड्रॉप-आउट के 38 प्रतिशत (2013-14) से 100 प्रतिशत (2011-12) तक विस्तारित था। ऐसा बच्चों को घरेलू और कृषि कार्य, पारम्परिक शिल्पों में नियोजन और गरीबी इत्यादि के कारण था।

वर्ष 2012-16 के दौरान राज्य के 75 जनपदों में से 71 से 74 जनपदों में अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए उसी कक्षा में बच्चों को रोके रखा गया।

(प्रस्तर 2.1.8.2)

विद्यालयों के लिये आधारभूत संरचना

निधियों की उपलब्धता के बावजूद राज्य में 1,366 विद्यालय बिना उचित भवन/फूस की छत/किराये के भवन/जर्जर भवन में संचालित थे।

राज्य के 1.60 लाख विद्यालयों में से, 2,978 विद्यालयों में पेयजल की सुविधा और 1,734 विद्यालयों में बालकों एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध नहीं थे। लगभग 50,849 एवं 35,995 विद्यालयों के पास क्रमशः खेल के मैदान तथा पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अग्रेतर, वायरिंग/विद्युत फिटिंग पर ₹ 64.22 करोड़ व्यय किये जाने के बावजूद 34,098 विद्यालयों में विद्युत संयोजन नहीं था।

(प्रस्तर 2.1.8.3)

विद्यालयों की जी.आई.एस. मैपिंग

निधियों की उपलब्धता के बावजूद बच्चों के लिए पड़ोस के विद्यालय को चिन्हांकित करने हेतु मात्र 30 प्रतिशत विद्यालयों की जी0आई0एस0 मैपिंग की गई।

(प्रस्तर 2.1.8.3)

बच्चों को पुस्तकों एवं यूनिफार्म का वितरण

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2012-16 की अवधि में राज्य में 6.22 लाख बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करायी गयी, यद्यपि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पर्याप्त निधियाँ प्राप्त हुई थी। अग्रेतर, विलम्बित निविदा प्रक्रिया और परिवहन प्रकरणों के कारण निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एक से तीन माह के विलम्ब से उपलब्ध करायी गयी।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पर्याप्त निधि प्राप्त होने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2012-16 की अवधि में 97 लाख बच्चों को यूनिफार्म उपलब्ध नहीं कराया गया। यद्यपि, प्रतिवर्ष अप्रैल/जुलाई से शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने नवम्बर माह तक यूनिफार्म

की आपूर्ति की तिथि निर्धारित की। ये और इसके साथ वितरण में देरी के परिणामस्वरूप वर्ष 2010-16 की अवधि में प्रत्येक शैक्षिक सत्र में नवम्बर के बाद यूनिफार्म का वितरण हुआ।

(प्रस्तर 2.1.8.2)

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे

विशिष्ट आवश्यकता वाले उन बच्चों को भी लाभान्वित किया गया जिनके पास विकलांगता प्रमाण-पत्र नहीं था।

(प्रस्तर 2.1.9.2)

शिक्षकों की योग्यता

अधिनियम प्रवृत्त होने के 6 वर्ष पश्चात भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त 18,119 शिक्षकों और 30,730 शिक्षकों के पास आवश्यक शैक्षिक योग्यता नहीं थी।

(प्रस्तर 2.1.8.4)

निधि प्रबंधन

मार्च 2016 तक राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा अनुरक्षित किये जा रहे लेखाओं में ₹ 39.20 करोड़ असमाशोधित रहे। इनमें से ₹ 1.82 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक समय से समाशोधन हेतु लम्बित थे। पुनः, राज्य क्रियान्वयन सोसाइटी ने अनुमन्य तीन बैंक खातों के सापेक्ष 10 बैंक खातों का रखरखाव किया था।

(प्रस्तर 2.1.7.3)

नियोजन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु किया गया नियोजन न तो व्यापक था और न ही इसमें सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की गयी थी। हाउस होल्ड सर्वे करने के लिए कोर टीमों का गठन नहीं किया गया था और विद्यालय प्रबन्ध समितियों ने विद्यालय विकास योजना नहीं बनाई थी।

(प्रस्तर 2.1.6.1)

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रक्रिया के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण पर सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विद्यमान समस्याओं जैसे खाद्यान्न का रिसाव और विवर्तन, फर्जी और बोगस राशन कार्ड, समावेश और अपवर्जन की त्रुटि और प्रणाली में पारदर्शिता की कमी को दूर करने के लिये भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा एण्ड टू एण्ड कम्प्यूटरीकरण की संकल्पना की गई थी। योजना के प्रमुख कार्यों में राशन कार्ड/लाभार्थी डाटाबेस का डिजिटाइजेशन; आपूर्ति श्रृंखला का कम्प्यूटरीकरण; पारदर्शी पोर्टल और शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना सम्मिलित थी। 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के अन्तर्गत अनुपात (50:50) के आधार पर भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 2012 में योजना के लिये प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। भारत सरकार द्वारा राज्य में योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न शीर्षों के अर्न्तगत ₹ 108.53 करोड़ अनुमोदित किया गया था। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना में, मार्च 2016 तक कुल ₹ 54 करोड़ व्यय किया गया था। यद्यपि, योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि (अक्टूबर 2013) को जून 2015 तक विस्तारित किया गया था, तथापि योजना में परिकल्पित कोई भी प्रमुख क्रियाकलाप पूर्ण नहीं हुआ था।

योजना की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा में निम्न तथ्य प्रकाश में आये:

परियोजना नियोजन, कार्यान्वयन और प्रचालन

भारत सरकार के साथ सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में विलम्ब, राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई के विलम्ब से गठन एवं प्रमुख कार्यकलापों का निष्पादन न करने के कारण परियोजना नियोजन विलंबित और त्रुटिपूर्ण रहा।

(प्रस्तर 2.2.8.1 एवं 2.2.8.2)

विभाग द्वारा विसंगत रणनीति अपनाने के कारण लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण के लिये निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं हुआ।

(प्रस्तर 2.2.8.4)

राज्य के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यकलाप के सभी पहलुओं का समाधान करने में असफल रहा, जिसके कारण मैनुअल प्रक्रिया भी प्रचलित थी। न तो अनुप्रयोगी सॉफ्टवेयर का प्रलेखन सुनिश्चित किया गया और न ही राज्य के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ सेवा स्तर अनुबंध गठित किया गया।

(प्रस्तर 2.2.8.6)

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण

डाटाबेस में त्रुटिपूर्ण मास्टर कोड की मैपिंग तथा लाभार्थियों के डुप्लीकेट रिकॉर्ड विद्यमान होने के कारण हितधारकों और लाभार्थियों के डाटाबेस के डिजिटाइजेशन में कमियां थी।

(प्रस्तर 2.2.9.1)

सब्सिडी का समुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से दूसरे डाटाबेस से प्रतिसत्यापन कराकर और लाभार्थियों का बैंक खाता और आधार संग्रहण करके सभी बोगस लाभार्थी और एक से अधिक बार लाभ लेने वाले लाभार्थियों का विलोपन करके फर्जी और बोगस राशन कार्ड हटाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि डाटाबेस का समुचित सत्यापन और अद्यतनीकरण नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 2.2.9.2)

लाभार्थी डाटाबेस में मौजूद राशन कार्ड की संख्या के आधार पर खाद्यान्न आबंटन आदेश की प्रक्रिया स्थापित न होने के कारण आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं था।

(प्रस्तर 2.2.9.3)

पारदर्शी पोर्टल पर, खाद्यान्न वस्तुओं के वास्तविक उठान, राज्य गोदामों का मुख्य स्टॉक रजिस्टर, विक्रय रजिस्टर का विवरण उपलब्ध नहीं था। नमूना जाँच किये गये जनपदों में उचित दर की दुकानों पर खाद्यान्न की उपलब्धता के बारे में पहले से पंजीकृत सभी लाभार्थियों को मोबाइल एस.एम.एस. एलर्ट के द्वारा सूचित नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 2.2.9.4)

प्रशिक्षण

दैनिक प्रक्रिया में शामिल कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रभावी प्रशिक्षण योजना तैयार नहीं की गई थी।

(प्रस्तर 2.2.10)

अनुश्रवण

प्रणाली प्रमाणीकरण और टीपीडीएस अनुप्रयोग माड्यूल की सुरक्षा लेखापरीक्षा के अभाव में कम्प्यूटरीकरण की प्रणाली असुरक्षित थी।

(प्रस्तर 2.2.11)

अनुपालन लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

लेखापरीक्षा में, जोखिम भरे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कमियाँ पाई गईं जो राज्य सरकार की प्रभावकारिता को प्रभावित करती हैं। शासन के कुछ विभागों एवं उनकी क्षेत्रीय इकाइयों के वित्तीय लेन-देनों की नमूना चयनित लेखापरीक्षा में, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन में विफलता, पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय किए जाने एवं निरीक्षण तथा प्रशासनिक नियन्त्रण की विफलता के प्रकरण पाए गए। मुख्य लेखापरीक्षा बिन्दुओं की चर्चा नीचे की गई है:

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का कार्यान्वयन

मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की स्थापना (अगस्त 2006) की गयी तथा उसके अधीन मई 2011 में नियम व विनियम बनाये गये जिन्हे सम्पूर्ण भारत में 5 अगस्त 2011 से प्रभावी किया गया तथा आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम को पूर्णरूपेण क्रियान्वित करने के लिए नियुक्त किया गया। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तिया निम्न हैं:

जनपदों में व्यापार संचालित कर रहे खाद्य कारोबारकर्ताओं की वास्तविक संख्या आकलित करने के लिए पहचान हेतु अभिहीत अधिकारियों द्वारा वर्ष 2011-16 के दौरान सर्वेक्षण का कार्य नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 3.1.3.1)

अभिहीत अधिकारियों/खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य कारोबारकर्ताओं से विश्लेषण हेतु संग्रहीत किये गये नमूने के 1250 प्रकरणों की लेखापरीक्षा द्वारा जाँच की गयी तथा पाया गया कि 335 (27 प्रतिशत) खाद्य कारोबारकर्ता बिना वैध लाइसेंस/पंजीकरण के खाद्य व्यापार संचालित कर रहे थे और 844 खाद्य कारोबारकर्ताओं (68 प्रतिशत) में लाइसेंस/पंजीकरण के सम्बन्ध में अभिहीत अधिकारियों के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।

(प्रस्तर 3.1.3.4)

विभाग द्वारा खाद्य कारोबारकर्ताओं से नमूना संग्रहण हेतु कोई प्रक्रिया, मानक तथा अवधि निर्धारित नहीं की गयी थी जिसके कारण नमूना संग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी तथा पर्याप्त आश्वासन प्रदान नहीं किया।

(प्रस्तर 3.1.4.2)

वर्ष 2011-16 की अवधि में वरिष्ठ खाद्य विश्लेषक के स्वीकृत पद के सापेक्ष 63 प्रतिशत पद और प्रयोगशाला तकनीकी के 78 प्रतिशत पद रिक्त थे।

(प्रस्तर 3.1.5.2)

वर्ष 2012-16 की अवधि में राज्य प्रयोगशाला और चयनित जिलों में ढांचागत संरचना की कमी के बावजूद मशीनों का क्रय, प्रयोगशाला के उच्चीकरण आदि हेतु पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत आवंटित धनराशि ₹ 20.20 करोड़ (58 प्रतिशत) निविदा की प्रक्रिया का अन्तिमीकरण न किये जाने के कारण समर्पित कर दिया गया।

(प्रस्तर 3.1.5.4)

छः राज्य प्रयोगशालाओं में से पाँच प्रयोगशालायें बिना एन.ए.बी.एल से मान्यता प्राप्त किये कार्यरत थी और इन प्रयोगशालाओं में आवश्यक उपकरणों की भारी कमी के कारण खाद्य पदार्थों की सभी प्रकार की निर्दिष्ट परीक्षण करने में सक्षम नहीं थी।

(प्रस्तर 3.1.6.1)

विभाग की अक्रियाशीलता के कारण वर्ष 2011-16 की अवधि में दोषी खाद्य कारोबारकर्ताओं पर न्याय निर्णय अधिकारी द्वारा आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि ₹ 15.70 करोड़ की वसूली अवशेष थी। यह न केवल दोषी कारोबारकर्ताओं को अदेय सहयोग में विस्तार था बल्कि शासकीय राजस्व की हानि भी थी।

(प्रस्तर 3.1.7.2)

अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक आधारभूत संरचना के आधुनिकीकरण की लेखापरीक्षा

भारत सरकार द्वारा न्यायपालिका में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिये केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना 1993-94 में प्रारम्भ की गयी। शासन द्वारा 2011-16 की अवधि में न्यायालय कक्षों एवं न्यायिक अधिकारियों के आवासों के निर्माण हेतु ₹ 827.50 करोड़ व्यय किया गया।

लेखा परीक्षा के दौरान पायी गयी मुख्य कमियाँ निम्नवत हैं:

राज्य सरकार द्वारा 2011-16 के मध्य न्यायालय कक्षों एवं न्यायिक अधिकारियों के आवासों के निर्माण हेतु बजट आबंटन के 33 प्रतिशत (₹ 401.00 करोड़) का उपयोग नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.2.2.2)

सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 31 मार्च 2016 तक मात्र 37 प्रतिशत न्यायालय कक्षों एवं 28 प्रतिशत आवासों का निर्माण ही पूर्ण हो सका था। अपर्याप्त सर्वेक्षण, मानचित्रों की विलम्ब से स्वीकृति एवं कार्य की धीमी प्रगति आदि न्यायालय कक्षों एवं आवासों के निर्माण में विलम्ब के मुख्य कारण थे।

(प्रस्तर 3.2.3.1)

सरकार द्वारा ₹ 234.83 करोड़ के 43 कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों को नामित कर के दिये गये थे। चयनित जनपदों में इन कार्यों को बिना निविदा आमंत्रित किये एवं बिना कोई अनुबंध/समझौता ज्ञापन निष्पादित किये हुये दिया गया। परिणामस्वरूप कार्यदायी संस्थाओं का उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था।

(प्रस्तर 3.2.3.5)

ई-कोर्ट स्कीम के अन्तर्गत चार चयनित जनपदों में आपूर्तित 468 थिन क्लाइट मशीनों में से ₹ 27.87 लाख मूल्य की 208 मशीनें (44 प्रतिशत) विगत पाँच वर्षों से भी अधिक समय से बिना उपयोग के निष्क्रिय पड़ी थीं।

(प्रस्तर 3.2.4.1)

उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में उपकरण प्रबन्धन

यद्यपि शासन द्वारा पर्याप्त निधियों का प्राविधान किया गया था, परन्तु राजकीय मेडिकल कालेजों ने चिकित्सकीय एवं शिक्षण उपकरणों का क्रय नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप उपकरणों का अभाव था।

(प्रस्तर 3.3.2.1)

राजकीय मेडिकल कॉलेज कैँसर/हृदय रोगियों को पर्याप्त चिकित्सा प्रदान करने में असफल रहे क्योंकि उपकरण जैसे कोबाल्ट टेलिथेरेपी, ब्रेकीथेरेपी यूनिट, लेफ्ट वेन्ट्रीक्यूलर एसीस्ट डिवाइस इत्यादि चिकित्सकों/तकनीकी कर्मचारियों/अवसंरचना के अभाव के कारण चिकित्सालयों में क्रियाशील नहीं थे। राजकीय मेडिकल कॉलेजों ने उपकरणों हेतु वार्षिक अनुरक्षण संविदा निष्पादित नहीं की थी। परिणामस्वरूप मशीनें क्रियाशील नहीं थीं एवं सर्विक्स कैँसर, गर्भावस्था मॉनीटरिंग, प्रीनेटल डायगोनसिस, बायोकेमिकल एवं हारमोनल जाँचें आदि किये नहीं जा सके।

(प्रस्तर 3.3.3.3 एवं 3.3.3.4)

राजकीय मेडिकल कॉलेजों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं का अनुचित पक्षपात करते हुए उपकरणों का क्रय एवं अधिक दर पर उपकरण का क्रय करके सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।

(प्रस्तर 3.3.3.5)

राजकीय मेडिकल कॉलेजों का वित्तीय प्रबन्धन पर्याप्त नहीं था क्योंकि पी0एल0ए0 में लम्बी अवधि तक निधियों का अवरोधन, निधियों के व्यावर्तन आदि के प्रकरण थे। इससे न केवल वित्तीय नियमों का उल्लंघन हुआ अपितु रोगियों को पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल से भी वंचित रखा गया क्योंकि आवश्यक उपकरणों का समय से क्रय नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 3.3.2.1 एवं 3.3.2.2)

वित्तीय लेन-देनों के लेखापरीक्षा प्रस्तर

ताप विद्युत गृहों को आपूर्तित जल पर रॉयल्टी की वसूली में विफलता के कारण शासन को ₹ 444.82 करोड़ की हानि।

(प्रस्तर 3.10)

अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन कर मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-5, बिजनौर द्वारा ठेकेदार को ₹ 6.89 करोड़ का अधिक भुगतान किया जाना।

(प्रस्तर 3.12)

शासनादेश का उल्लंघन करते हुए अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस एवं कासगंज के जनपदों में पाँच अति-दोहित खण्डों में 22 नलकूप तथा दो क्रिटिकल खण्डों में छः नलकूप के निर्माण पर ₹ 3.13 करोड़ (क्रमशः ₹ 2.69 करोड़ तथा ₹ 0.44 करोड़) का अनियमित व्यय किया गया।

(प्रस्तर 3.13)

बेरोजगारी भत्ता योजना के लाभार्थियों को ₹ 20.58 करोड़ के चेक वितरण करने हेतु 69 जिलों में समारोहों के आयोजन पर ₹ 15.06 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया जबकि बेरोजगारी भत्ते को लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जाना था।

(प्रस्तर 3.16)

राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, लखनऊ में आवश्यक तकनीकी मानवशक्ति के अभाव एवं रसायनों की खरीदारी में विफलता के कारण विगत छः वर्षों से किसी भी दवा के नमूनों का परीक्षण नहीं हो सका जिससे प्रयोगशाला के सुदृढीकरण पर व्यय की गयी धनराशि ₹ 1.78 करोड़ अलाभकारी रही।

(प्रस्तर 3.17)

अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, हमीरपुर द्वारा 26 चेकडैम के निर्माण हेतु न्यूनतम निविदाओं को अस्वीकृत कर उच्च दर पर अनुबन्धों के क्रियावन्धन के कारण शासन को ₹ 1.04 करोड़ की हानि।

(प्रस्तर 3.19)

प्रान्तीय खण्ड, मऊ और वाराणसी द्वारा इण्डियन रोड कॉंग्रेस के मानदण्डों और प्रमुख अभियन्ता के आदेशों का उल्लंघन कर सड़क के सुदृढीकरण में डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम की परत डालने में, अधिक बिटुमिन कन्टेंट का उपयोग करने के कारण ठेकेदारों को ₹ 2.35 करोड़ का अनधिकृत भुगतान किया जाना।

(प्रस्तर 3.22)

विभाग के आदेशों के विरुद्ध लोक निर्माण विभाग के दो खण्डों द्वारा 71 कि०मी० मार्ग के निर्माण में ड्रेनेज लेयर के रूप में 150 मि०मी० ग्रेनुलर सबबेस बिछाये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 12.72 करोड़ का परिहार्य व्यय।

(प्रस्तर 3.24)

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति की छात्राओं हेतु आगरा में विश्वविद्यालय परिसर में छात्रावास के संचालन में विफलता तथा बिजनौर में दूरस्थ क्षेत्र में छात्रावास भवन का निर्माण करने एवं आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करने के कारण ₹ 1.47 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा क्योंकि दोनों ही छात्रावासों में विगत क्रमशः 11 एवं 6 वर्षों से अनुसूचित जाति की छात्राओं द्वारा अधिनिवासन नहीं किया जा रहा था।

(प्रस्तर 3.27)